प्रचलन में 2 रुपए और 100 रुपए के जाली करेंसी नोट

1023. **श्री रामलाल राही :**

श्री सोमजी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में 2 रुपए और 100 रुपए मूल्य के जाली नोटों के मुद्रण और प्रचलन से सम्बन्धित, समाचारों में प्रकाशित रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन जाली नोटों के मुद्रण के लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा उन्होंने इन्हें कैसे छापा ;

(ग) इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से 2 रुपए और 100 रुपए मूल्य वर्ग के जाली करेंसी नोट पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। वर्ष 1983-84 और चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन-महीनों के दौरान दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे जैसे कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचित किए गए हैं, नीचे दिए गए हैं :—

करेंसी नोटों की संख्या का मूल्य वर्ग	मामलों/घटनाओं की संख्या**	करेंसी नोटों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1983-84			
2/-रुपए	72	390	8
100/-रुपए	651	1,02,401	185
1.4.1984 से 30.6.1984 तक			
2/-रुपए	16	29	—
100/-रुपए	210	2,654	44

**(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचित)

गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों अर्थात् पंजाब में फगवाड़ा के श्री नानक सिंह और दिल्ली के श्री कृष्ण कुमार के विरुद्ध की गई जांच के दौरान यह प्रकट हुआ है कि जाली करेंसी नोटों के मुद्रण में कुछ थाई नागरिक भी शामिल हैं। इस सम्बन्ध में कृष्ण रेस्टोरेन्ट, 374-चक्रपात रोड, पहुरत, बैंकाक के श्री उमेश कुमार का नाम भी व्यक्त किया गया है। इंटरपोल और बैंकाक पुलिस की सहायता से जाँच की गई है। बैंकाक से अन्तिम परिणामों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।